# पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक–पु0मु0 / 22 / 6 / 1 / 11 / / 2016 दिनांक– / 09 / 2024

प्रति,

समस्त पुलिस इकाईयाँ,
मध्य प्रदेश ।

विषय– शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना 2024

संदर्भ– इस कार्यालय का परिपत्र क्रमांक–पु0मु0 / कल्याण / टी–6 / 669 / 2020 दिनांक–01 / 06 / 2020 एवं क्रमांक पु0मु0 / कल्याण / टी–6 / 602 / 2021 दि0–12 / 05 / 2021

-----

मध्यप्रदेश पुलिस के अधिकारियों / कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन स्वरूप वर्तमान शिक्षा सत्र (2024–25) एवं आगामी शिक्षा सत्र हेतु नवीन नियमावली जारी की जाती है। यह नवीन नियम दिनांक 01.04.2024 से प्रारंभ होने वाले शिक्षा सत्र 2024–25 से लागू माना जायेगा। गत शिक्षण सत्र 2023–24 में शिक्षा निधि की स्वीकृति पुराने नियमों के अनुसार ही देय होगी।

1– विद्यालयीन / महाविद्यालयीन प्रकरणों के लिये शिक्षानिधि राशि का निर्धारण निम्न तालिका अनुसार देय होगा –

| स.क. | कोर्स का नाम | विगत वर्ष (कक्षा) में प्राप्तांक प्रतिशत | अधिकतम निर्धारित सीमा राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | 11वीं / 12वीं कक्षा | 1–85% या उससे अधिक होने पर | 4,000 / – |
| | | 2–60% से 84% तक | 2,500 / – |
| II | समस्त प्रकार के डिप्लोमा कोर्स हेतु | 2–60%या उससे अधिक होने पर।<br>2–55% से 60% तक | 10,000 / –<br>6,000 / – |
| III | समस्त प्रकार के स्नातक कोर्स / इंटीग्रेटेड कोर्स / अन्य मेडीकल कोर्स / तकनीकी कोर्स | 1–60%या उससे अधिक होने पर<br>2–55% से 60% तक | 40,000 / –<br>24,000 / – |
| IV | समस्त प्रकार के<br>(1) एम0बी0बी0एस कोर्स<br>(2) बी0डी0एस कोर्स | 1–60%या उससे अधिक होने पर<br>2–50% से 60% तक | 50,000 / –<br>30,000 / – |
| V | किसी भी प्रकार के स्नातकोत्तर कोर्स हेतु शिक्षा सत्र–2024–25 से शिक्षा निधि राशि स्वीकृत नहीं की जायेगी। | | |

1.1– शिक्षा निधि स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा जमा की गयी कुल फीस की राशि में से कॉशन मनी, छात्रावास फीस एवं मैस शुल्क को छोडकर शेष राशि अथवा निर्धारित राशि दोनों में से जो भी कम हो स्वीकृत की जायेगी।

कार्यालय पुलिस रेडियो मुख्यालय म. प्र. भोपाल
09 SEP 2024
आवक / जावक
क्रमांक 12195

2......

**2–विद्यालयीन प्रकरणों में शिक्षा निधि हेतु प्रकिया :–**

2.1– शिक्षा निधि के प्रकरणो का निर्धारित मापदण्ड के आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक / उपसेनानी (अध्यक्ष) एवं एक राजपत्रित अधिकारी तथा मुख्य लिपिक / अंकिक(सदस्य) की गठित समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगा।

2.2– इकाईयों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक / उप सेनानी स्तर के अधिकारी पदस्थ नहीं होने की स्थिति में उनके स्थान पर किसी राजपत्रित अधिकारी को समिति अध्यक्ष के रूप मे मनोनीत किया जाएगा।

2.3– शिक्षा सत्र 2024–25 एवं आगामी शिक्षा सत्रों के समस्त विद्यालयीन प्रकरणों को इकाई स्तर पर गठित समिति द्वारा परीक्षण कर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक (जोन / रेंज) को शिक्षा निधि राशि स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जायेंगे

| क0 | इकाई का नाम | आवेदक का नाम / पद | पुत्र / पुत्री का नाम | उत्तीर्ण कक्षा | प्राप्तांक | प्रतिशत | स्वीकृत राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

2.4– कक्षा ग्यारहवी / बारहवीं के प्राप्त प्रकरणों के आधार पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक(जोन / रेंज) उपरोक्त प्रोफार्मा में स्वीकृति आदेश जारी करेंगे। जिसकी प्रतिलिपि पुलिस मुख्यालय को पृष्ठांकित की जायेगी। पुलिस मुख्यालय में आदेश प्राप्त होने के पश्चात् संबधित इकाईयो को केन्द्रीय कल्याण निधि से राशि का आवंटन भेजा जायेगा। परन्तु जिस इकाई में कल्याण निधि में राशि उपलब्ध है उनके द्वारा केन्द्रीय कल्याण निधि से राशि प्राप्त होने का इंतजार किये बिना ही उपलब्ध राशि से शिक्षा निधि का भुगतान संबंधित पुलिसकर्मी को कर दिया जायेगा।

**3– महाविद्यायलयीन प्रकरणों हेतु शिक्षा निधि स्वीकृति की प्रकिया :–**

3.1– शिक्षा सत्र 2024–25 एवं आगामी शिक्षा सत्रों के समस्त महाविद्यालयीन प्रकरणों का कण्डिका कमांक–2.1 के अनुसार इकाई स्तर पर समिति गठित की जाकर शिक्षा निधि प्रकरणों का परीक्षण कर संबंधित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक (जोन / रेंज) को प्रेषित किये जायेगें।

3.2– अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक (जोन / रेंज) के द्वारा इकाई से प्राप्त प्रकरणों को अनुशंसा सहित संलग्न प्रपत्र परिशिष्ट–अ एवं ब में पुलिस मुख्यालय भेजी जायेगी।

3.3– आवेदक द्वारा शिक्षा सत्र 2024–25 एवं आगामी शिक्षा सत्रों के समस्त प्रकरणो में आवेदक द्वारा जमा की गई फीस रसीद के आधार पर अध्ययनरत कक्षा हेतु शिक्षा निधि राशि स्वीकृत की जायेगी।

3.4– सेमेस्टर पद्धति हेतु विगत उत्तीर्ण कक्षा की प्रथम एवं द्वितीय दोनो सेमेस्टर की अंकसूची एवं अध्ययनरत कक्षा के लिये जमा की गई दोनों सेमेस्टर की फीस रसीद आवश्यक रूप से प्रस्तुत की जाए।

3.....

3.5– हार्ड कापी मे तैयार की गई प्रकरणो की जानकारी **Editable Font & file**(निर्धारित प्रोफार्मा मे) I Mail-welfare_t6@mppolice.gov.in पर आवश्यक रूप से भेजी जाये।

3.6–आवेदक द्वारा शिक्षा निधि हेतु जमा किये जाने वाले आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों एव फीस रसीद इत्यादि को स्वप्रमाणित किया जाकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाये।

3.7–यदि फीस नगद (कैश) मे जमा की गयी है तो कैशियर द्वारा दी गयी रसीद मान्य होगी एव डिजिटल भुगतान करने पर डिजिटल भुगतान की प्रिंटेड कॉपी स्वप्रमाणित हस्ताक्षर के साथ मान्य की जायेगी।

3.8–पूर्व के नियम के अनुरूप डीन/प्रिंसिपल से नियमित छात्र होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

4–शिक्षा निधि के प्रकरणों हेतु पात्रता :–

4.1– सभी विद्यालयीन/महाविद्यालयीन प्रकरणो में बिन्दू कमांक–1 के कॉलम कमांक 03 में दर्शित तालिकानुसार न्यूनतम प्रतिशत प्राप्तांक वाले छात्र/छात्राओ को ही शिक्षा निधि की पात्रता होगी।

4.2– सेमेस्टर प्रणाली में प्रत्येक सेमेस्टर में भी न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अंकसूची के अभाव में किसी भी प्रकार की ग्रेडिंग सूची अथवा प्रमाण को मान्य नहीं किया जायेगा।

4.3– यदि प्रथम सेमेस्टर की फीस निर्धारित फीस से अधिक है तो प्रथम सेमेस्टर के जमा फीस के आधार पर ही राशि का भुगतान किया जायेगा। लेकिन जिन प्रकरणों में प्रथम सेमेस्टर की फीस निर्धारित राशि से कम है तो दोनों सेमेस्टर की जमा फीस रसीद के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

4.4– प्रथम दो पुत्र/पुत्रियों को ही शिक्षा निधि की पात्रता होगी। पुलिस कर्मचारियो के पुत्र/पुत्रियो के अतिरिक्त परिवार के किसी भी अन्य आश्रित सदस्य को शिक्षा निधि की पात्रता नही होगी।

4.5– बाल आरक्षक स्वयं के वयस्क होने तक पात्रता अनुसार शिक्षा निधि का लाभ ले सकेगा।

4.6– दिवगंत पुलिस अधिकारी/कर्मचारियो जिन्हे असाधारण परिवार पेंशन स्वीकृत होती है के बच्चो को भी शिक्षा निधि की पात्रता होगी।

4.7– समस्त प्रकार के स्नातक एवं 05 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स हेतु प्रत्येक छात्र/छात्राओं को अधिकतम कुल 05 वर्ष तक ही शिक्षा निधि की पात्रता होगी जोकि विद्यालयीन अवधि के अतिरिक्त होगा।

4.8– विगत शिक्षण सत्र मे पूरक परीक्षा अथवा अनुत्तीर्ण होने पर शिक्षा निधि की पात्रता नहीं होगी।

4.9– नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र/छात्राओ को ही शिक्षा निधि की पात्रता होगी।

4.10–पीएचडी/विदेश में अध्ययनरत छात्र/छात्राओ को शिक्षा निधि राशि की पात्रता नही होगी।

4.......

परिशिष्ट-अ

# नवीन शिक्षा निधि अंतर्गत राशि स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र (2024-2025)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | कर्मचारी का नाम | |
| 2 | पद | |
| 3 | तैनाती इकाई | |
| 4 | मूल वेतन एवं पे-लेवल/श्रेणी | |
| 5 | वेतन आहरण इकाई का नाम | |
| 6 | पुत्र/पुत्री का नाम | |
| 7 | उत्तीर्ण कक्षा (2023-2024) | |
| 8 | अध्ययनरत कक्षा (2024-2025) | |
| 9 | कोर्स का नाम-<br>तकनीकी/गैरतकनीकी-<br>समयावधि- (त्रिमासिक छमाही अथवा 1वर्षीय/2वर्षीय/3वर्षीय /4वर्षीय)<br>विद्यालय/महाविद्यालय का नाम-<br>पता- | |
| 10 | शासकीय/अशासकीय/स्वाशासकीय- | |
| 11 | उत्तीर्ण कक्षा सत्र का प्राप्तांक | कुल अंक / प्राप्तांक / प्रतिशत (%) |
| 12 | संलग्न पत्र- | १- अध्ययनरत कक्षा की फीस रसीद .......<br>२- उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची- ....<br>३- वेतन पर्ची............. |
| 13 | आवेदक के बैंक का नाम | खाता क्रमांक / आईएफएससी कोड |

## आवेदक कर्मचारी का प्रमाण-पत्र

मै..................... पदनाम... .......प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि उक्त कक्षा के अनुदान हेतु प्रथम बार आवेदन दिया है तथा उपरोक्त कॉलमों में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि असत्य पाई जाये तो दिया गया समस्त शिक्षा अनुदान एक मुश्त मेरे वेतन से वसूल किया जाकर मेरे विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सहमत हूँ ।

आवेदक के हस्ताक्षर/दिनांक

मोबाईल नम्बर-.................

## इकाई प्रमुख की प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त समस्त दी गई जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है, जो कि पूर्णतः सत्य है। आवेदक................... पदनाम............की पुत्र/पुत्री को पात्रतानुसार राशि रूपये ......शिक्षण शुल्क की पात्रता है। आवेदक का शिक्षा सत्र ...... हेतु अनुदान का आवेदन पत्र पूर्व में नहीं भेजा गया है।

इकाई प्रमुख का नाम/हस्ताक्षर/दिनांक एवं सील

4.11–**GROUP-A (ग्रेड–1 श्रेणी)** अधिकारी को छोड़कर शेष अन्य अधिकारी/कर्मचारी के बच्चों को शिक्षण शुल्क की पात्रता होगी।

4.12–शिक्षण सत्र 2024–25 के शिक्षा निधि प्रकरण पुलिस मुख्यालय में प्रेषित करने की अंतिम तिथि 01 मार्च 2025 रहेगी। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रकरण पर विचार नहीं किया जायेगा।

5– इकाई प्रमुख की जिम्मेदारी होगी की इकाई में पात्र आवेदको को शिक्षा निधि हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु जानकारी से अवगत कराते हुये प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु प्रेरित करें।

5.1–उक्त समस्त नवीन मापदंड का आगामी वर्षो में प्राप्तांक प्रतिशत एवं आय–व्यय के आधार पर समीक्षा की जाकर विचारोपरान्त प्रतिशत का स्तर कम किये जाने एवं स्नातकोत्तर कक्षाओ को सम्मिलित किये जाने पर निर्णय लिया जायेगा।

5.2–मध्यप्रदेश पुलिस शिक्षा निधि से राशि स्वीकृति के संबंध में पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश का निर्णय अंतिम होगा।

(पुलिस महानिदेशक द्वारा अनुमोदित)

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त महानिदेशक(कल्याण एवं लेखा)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

क्रमांक पु0मु0/22/6/1/ 1129/2016 दिनांक– 8 /09/2024

प्रतिलिपिः–कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषितः–

1–समस्त अतिरिक्त महानिदेशक/महानिरीक्षक जोन (विसबल रेंज सहित) मध्य प्रदेश।
2–समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक (विसबल सहित) मध्य प्रदेश।
3–समस्त सहायक महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय भोपाल।

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त महानिदेशक(कल्याण एवं लेखा)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

परिशिष्ट-4

[illegible] शिक्षा निधि के अंतर्गत योग्य पाये गये समस्त प्रकार के स्नातक कोर्स/इंटीग्रेटेड कोर्स/डिप्लोमा कोर्स/एम0बी0बी0एस कोर्स/बी0डी0एस कोर्स के प्रकरण शिक्षा सत्र- 2024-25

[illegible] का नाम-..................................................

| [illegible] | [illegible] का नाम | आवेदक की जाति वर्ग | पुत्र/पुत्री का उत्तीर्ण नाम | कक्षा | शैक्षणिक संस्थान का नाम | प्राप्तांक | प्रतिशत | फीस रसीद क्र0 एवं दिनांक | कुल फीस | फीस का विवरण कौशल मंत्री मैस एवं [illegible] फीस | कुल जमा फीस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | (2) | (3) | (4) | 5 | (6) | 7 | (8) | (9) | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

नोट- 1 यदि छात्र/छात्रा को अन्य कोई छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है अथवा आवेदन किया गया हो तो स्पष्ट उल्लेख किया जाएं।
2 समिति द्वारा योग्य पाये गये छात्र/छात्राओं को ही सूची में सम्मिलित करें।

अ0म0नि0/पु0म0नि0 के हस्ताक्षर/दिनांक मय अनुशंसा